कार्यालयः वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल। म0प्र0

परिपत्र

क्रमॉकः— 122 / 2024 भोपाल, दिनॉंकः 10 / 02 / 2024

प्रति,

समस्त प्रवर्तन लिपिक,
जिला न्यायालय, भोपाल। (म0प्र0)

विषयः— निराकृत प्रकरणों में मुद्दे माल का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही प्रकरणों को अभिलेखागार अनुभाग में जमा किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रायः यह देखने में आया है कि न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों को, प्रकरण में मुद्दे माल का निराकरण किये बिना ही अभिलेखागार अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर दिया जाता है। जिसके कारण मालखाना अनुभाग में मुद्देमाल का निराकरण किया जाना संभव नहीं हो पाता है। उक्त संबंध में जिला स्थापना में कार्यरत् समस्त न्यायालयों में पदस्थ फौजदारी लिपिक / रीडर को परिपत्र के माध्यम से यह निर्देशित किया जाता है कि वे निराकृत प्रकरणों में मुद्देमाल का निराकरण कर, मालाखान पर्चा जावक रजिस्टर के माध्यम से मालखाना अनुभाग में भेजा जाना सुनिश्चित करें एवं प्रकरण में आदेश पत्रिका के हाशिऐ में यह टीप अंकित करें कि उक्त प्रकरण में मुद्देमाल का निराकरण किया जाकर, मालखाना पर्चा, मालखाना अनुभाग में जावक नं. —— से प्रेषित किया जा चुका है। उक्त संबंध में अभिलेखागार अनुभाग में कार्यरत् सभी संबंधित कर्मचारियों को भी ये निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक प्रकरण में यह जॉच करने के उपरान्त ही, कि उक्त प्रकरण में मुद्देमाल का निराकरण नियमनुसार किया जा चुका है, उक्त निराकृत प्रकरण को नियमानुसार प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

(अतुल सक्सेना)
वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी,
अभिलेखागार अनुभाग,
जिला न्यायालय, भोपाल। (म0प्र0)